कार्यालय वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त अयोध्या।
पत्रांक /14–10 दिनांक, अयोध्या, सितम्बर 27 /2022।
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– मैसर्स रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लि0 लखनऊ द्वारा जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत हैदरगढ़ –रामसनेहीघाट मार्ग (एन0डी0आर0–003 सी0) के किमी0 9 (चैनेज–8.523) के मध्य वायी पटरी पर ग्राम–भीखरपुर, तहसील–रामसनेहीघाट, जनपद–बाराबंकी के खसरा गटा संख्या–186 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित–0.487312 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उसमें अवस्थित 09 पौधों/वृक्षों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध मे

प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0पी0/अपरोच/156909/2022

सन्दर्भः– प्रभागीय निदेशक सा0वा0 वन प्रभाग बाराबंकी का पत्रांक 1213/14–4–4 दिनाक 16–09–2022।

महोदय,

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बाराबंकी के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव संस्तुति सहित चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का 03 प्रतियाँ मय पेनड्राइब के साथ संस्तुति सहित संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
27/9/22

(डा0 अनिरुद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
समाजिक वानिकी,सरयू वृत्त,अयोध्या।

पृ0सं0 910 /उक्त दिनांक।

1– प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बाराबंकी को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सुनिश्चित करें, कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ होने दें।

2– प्रतिलिपि– मैसर्स रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लि0 एल्डिको कारपोरेट चैम्बर–2 नवा तल विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 अनिरुद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
समाजिक वानिकी,सरयू वृत्त,अयोध्या।

भाग—iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। हाँ

15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। हाँ

16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। प्रभागीय निदेशक सा० वा० वन प्रभाग बाराबंकी द्वारा दी गयी सूचना / टिप्पणी से सहमत होते हुये प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनॉक— 26/09/2022

स्थान— अयोध्या

नाम— (डा० [illegible] पाण्डेय)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सा० वा०, सरयू वृत्त, उ०प्र०

अयोध्या